

थाना धामपुर के मु0अ0सं0 340 / 2020 धारा 392 भादवि में 47,000 / रूपये, अंगूठी व मोबाईल लूट की घटना का पर्दाफाश, 03 अभियुक्तगण लूट की धनराशि, व अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार

मु0अ0सं0-340 / 2020 धारा-392 भादवि बनाम 3 अज्ञात बदमाश
दिनांक घटना-17.08.2020 समय-19:00 बजे घटना स्थल-सरकडा चकराजमल नहर पुल के पास
दिनांक गिरफ्तारी/बरा0-22.08.2020 समय-सुबह 07:00 बजे गिरफ्तारी/बरा0 स्थल-सरकडा नहर पुल के पास
गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

- 1-रिहान पुत्र मौ0 हसन उर्फ सददन मौ0 अंसारियान कस्बा ऊमरी कलां थाना काँठ, जनपद मुरादाबाद।
- 2-तहसीन पुत्र सलीम निवासी मौ0 चौधरियान कस्बा ऊमरी कला थाना काँठ, जनपद मुरादाबाद।
- 3-फरमान उर्फ फम्मा पुत्र नजाकत निवासी मौ0 जुमे का बाजार कस्बा ऊमरी कलां थाना काँठ, जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- 1-20,000 / रूपये
- 2-01 तंमचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस
- 3-02 चाकू नाजायज
- 4-एक R-15 यामाहा मोटर साइकिल बिना नम्बर
- 5-एक अंगूठी पीली धातु
- 5-सैमसंग मोबाइल ए-20 कीमत लगभग 15,000 / रूपये
- 6-सैमसंग मोबाइल ए-80 कीमत लगभग 70,000 / रूपये

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

- 1-मु0अ0सं0 340 / 2020 धारा 392 / 411 भादवि बनाम रिहान, तहसीन व फरमान
- 2-मु0अ0सं0 347 / 2020 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम रिहान
- 3-मु0अ0सं0 348 / 2020 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम तहसीन
- 4-मु0अ0सं0 349 / 2020 धारा 3 / 25 शस्त्र अधिनियम बनाम फरमान

दिनांक 17.08.2020 को मौ0 इमरान पुत्र श्री सरदार अली निवासी मौ0 मिल्कीयान कस्बा स्यौहारा थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ने अपनी बहिन कि ससुराल निंदडू जाते समय 19:00 बजे सरकडा चकराजमल नहर पुल के पास अपने व अपने पडौसी फैजान के साथ 47000 / रूपये, एक अंगूठी, 2 मोबाईल फोन की लूट के संबंध में तीन अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध थाना धामपुर पर मु0अ0सं0-340 / 20 धारा 392 भादवि पंजीकृत कराया था।

आज दिनांक 22.08.2020 को मुखबिर की सूचना पर थाना धामपुर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा वाहन व संदिग्ध व्यक्ति चैकिंग के दौरान सरकडा नहर पुल के पास सुबह 07:00 बजे तीन बदमाशों को दिनांक 17.08.2020 को हुयी लूट की घटना की धनराशि, कीमती अंगूठी, दो मोबाईल, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल व अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया।

पूँछतॉछ का विवरण.....*

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूँछतॉछ पर बताया कि दिनांक 17.08.2020 को हमने सरकडा नहर पुल के पास जो नगदी, अंगूठी व दो मोबाईल लूटे थे। जिसमें से 20,000 / रूपये, एक अंगूठी व दो मोबाईल आपने हमसे बरामद कर लिए हैं।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

थाना पुलिस टीम-1-प्रभारी निरीक्षक श्री रंजन कुमार शर्मा 2-उ0नि0 श्री सुदेशपाल सिंह 3-का0 1528 गौरव राठी 4-का0 401 दीपक राणा

स्वाट टीम-1-प्रभारी स्वाट श्री कान्ती प्रसाद शर्मा 2-उ0नि0 श्री हिमांशु चौहान 3-उ0नि0 श्री मनोज परमार 4-का0 रहीश 5-का0 खालिद 6-का0 अरुण कुमार 7-का0 रंजीत मलिक 8-का0 विकास बेसला

नोट- पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम को 15000 / रूपये से पुरस्कृत किया गया।



आज दिनांक 22.08.2020 को पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा रिजर्व पुलिस लाईन के सभागार कक्ष में सभी राजपत्रितधिकारी व सभी क्षेत्राधिकारीओं के साथ गोष्ठी की गयी। जिसमें आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत समस्त को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।



थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा शातिर चोर को चोरी की 02 मोटरसाईकिल व अवैध शस्त्रो सहित किया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 22.08.2020 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त कुलवीर उर्फ कुलदीप उर्फ पंकज उर्फ नंदू को ग्राम ब्राहमणपुर के रास्ते पर चोरी की मोटरसाईकिल बजाज सीटी - 100 व 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया ।

अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उपरोक्त मोटरसाईकिल मेरे द्वारा दिनांक 23.05.2020 को मंझेडा के पास से चोरी की थी तथा 01 अन्य मोटरसाईकिल नगीना से चोरी की थी जो इस समय घर पर खडी है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशादेही पर घर से 01 हीरो होण्डा मोटरसाईकिल बिना नम्बर को बरामद किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

कुलवीर उर्फ कुलदीप उर्फ पंकज उर्फ नन्दू पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम जमालपुर ढीकली थाना बढापुर बिजनौर

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण

- 1- मोटरसाईकिल बजाज सीटी-100 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 241/20 थाना नगीना) ।
- 2- मोटरसाईकिल हीरो होण्डा बिना नम्बर प्लेट ।
- 3- 01 तमंचा 12 बोर व 02 जिन्दा कारतूस

अभियुक्त के विरुद्ध पजीकृत अभियोगो का विवरण

- 1- मु0अ0सं0 225/20 धारा 411/413/414 भादवि ।
- 2- मु0अ0सं0 226/20 धारा 3/25 आयुध अधिनियम ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

थानाध्यक्ष श्री उदय प्रताप सिंह, उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सिंह, का0 प्रेमपाल, का0 सद्दाम ।



थाना हीमपुर दीपाः- आज दिनांक 22.08.2020 को थाना हीमपुर दीपा पुलिस द्वारा अभियुक्त नेमपाल पुत्र मंगू सिंह निवासी ग्राम हरीनगर थाना हीमपुर दीपा को मु0अ0सं0 126/20 धारा 304 भा0द0वि0 मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



थाना कोतवाली देहातः- आज दिनांक 22.08.2020 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेश पुत्र महेंद्र सिंह 2- लोकेन्द्र पुत्र सोपाल सिंह निवासीगण ग्राम गोपालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



नोट- उत्तर-प्रदेश शासन द्वारा जारी गाईड लाइन के अनुसार पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत जनपद बिजनौर के फायर सर्विस के फायर टेण्डरो द्वारा जनपद की विभिन्न तहसीलो में व हॉट-स्पॉट में सैनेटाईजेशन का कार्य किया ।

तहसील नगीना

- 1- मुंसिफ कोर्ट
- 2- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 3- एस0बी0आई0 बैंक
- 4- एच0डी0एफ0सी0 बैंक

तहसील चाँदपुर

- 1- मौ0 कटारमल थाना चाँदपुर
- 2- ग्राम रूपपुर थाना चाँदपुर

तहसील नजीबाबाद

- 1- परिसर थाना नांगल



थाना मंडावर:- आज दिनांक 22.08.2020 को थाना मंडावर पुलिस द्वारा अभियुक्त आसिफ पुत्र रहीस निवासी ग्राम खिरनी थाना मंडावर जनपद बिजनौर को 10 लीटर अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 187/20 धारा 60 एक्साइज एक्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



संक्रमण के दृष्टिगत लाकडाउन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण

दिनांक 22.08.2020 को ई-चालान का विवरण जनपद बिजनौर

क्र0सं0	चैक किये गये वाहनो की संख्या	कुल चालानो की संख्या	सीज वाहनो की संख्या	शमन शुल्क की धनराशी
1	294	143		183700

जनपद में दिनांक 22.08.2020 को क्वारन्टाईन किये गये कोरोना संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों का विवरण

क्रंस0	थाना	कोरेन्टाईन कराये गये कोरोना संदिग्ध/संक्रमित व्यक्तियों की संख्या	
		क्वारेन्टाईन सेन्टर	होम क्वारन्टाई
1	हल्दौर		4
2	नांगल		3
3	चांदपुर		28
4	धामपुर		15
5	स्योहारा	2	
6	नहटौर		2
7	नगीना		1

8	नगीना देहात	1	14
9	अफजलगढ		9
10	शेरकोट		3

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में लॉकडाउन के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा मास्क न लगाने व यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। जिसका विवरण निम्न है।-

दिनांक 21.08.2020 समय 22.00 बजे से दिनांक 22.08.2020 समय 16.00 बजे तक विवरण

ई-चालनों की संख्या	समन शुल्क रूपये में वाहन / शुल्क	मास्क चालान	मास्क का शमन शुल्क	मैनुअल चालान	सीज
348		440	312050		2